

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार केम्प.....2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या / / 2018


दायर दि० 24/5/2018
फैसल दि० 24/5/2018

श्री कारुलाल पि. कुबेर पटेल अनवान
(वादी) बनाम भूमिधारी
तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री कारुलाल पि. कुबेर पटेल ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा गामडावा के खाता नम्बर 86,442⁴⁴⁴ जमाबन्दी सं० 2072-75
में अंकित स्वयं/पिता का नाम कारुल
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
कारुलाल है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम
कारुल दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम कारुलाल
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा गामडावा की जमाबन्दी संवत् 2072-75 के
खाता संख्या 86,442⁴⁴⁴ में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम
कारुल में संशोधन कर सही नाम
कारुलाल दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा